

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 1254

दिनांक 3 जुलाई, 2019 / 12 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

भारतीय एयरलाइन्स पर एटीएफ कर का बोझ

1254. श्री संजय सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर 14 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारों द्वारा 29 प्रतिशत की ऊंची कर दर लगाई जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय विमान कंपनियों पर एटीएफ कर के दबाव को कम करने के लिए एटीएफ को जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विचार-विमर्श और हितधारकों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार एटीएफ कर के बोझ को कम करने के लिए कौन-कौन से उपाय करेगी?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर केंद्रीय आबकारी शुल्क दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 से 14 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत किया जा चुका है। कुछ राज्य सरकारों कुछ हवाईअड्डों पर 29 से 30 प्रतिशत जितना अधिक मूल्य वर्धित कर (वैट) या बिक्री कर वसूल करती हैं।

(ख) से (घ): संविधान के अनुच्छेद 279ए (5) में प्रावधान किया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस तारीख को पेट्रोलियम क्रूड (कच्चा तेल), हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और एटीएफ पर लगाया जाएगा। अतएव, एटीएफ को जीएसटी के अंतर्गत लाए जाने का निर्णय जीएसटी परिषद पर निर्भर करता है। इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार निरंतर विमानन संबंधी स्टेकधारकों की आवश्यकताओं और हितों पर प्रतिक्रियाशील रहती है जिनमें एयरलाइन वाहक और सामान्य विमानन भी शामिल हैं। विमानन क्षेत्र की वृद्धि और संधारणीयता को सुगम और सक्षम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें 14 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत किया जाना, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आने वाले समय में एटीएफ पर वैट/बिक्री कर में कमी, जिसमें आरसीएस - उड़ान (क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना - उड़ें देश का आम नागरिक) उड़ानें भी शामिल हैं, और विभिन्न स्टेकधारकों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सव्यवहारों पर लागू कर-संबंधी अनेक प्रावधानों का यौक्तिकरण शामिल हैं।
